न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर
राजस्व वाद 120/2022(2022/387)

1. बालू पुत्र माधू जाति माली निवासी देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

---प्रार्थी

♠ बनाम ♠

1. सीताराम पुत्र रामकिशन जाति धाकड
2. जगदीश पुत्र भूरा जाति माली
3. गोकुल पुत्र रामकरण जाति माली
   निवासीगण देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राजस्थान

--अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थितः—
प्रार्थी वकील :— श्री असलम शेरखान
पेराकार सरकार :— जरिये तहसीलदार केकडी

आदेश

दिनांक

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान के अधिवक्ता उपस्थित। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में वर्णित प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात वाके **ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी जिला अजमेर में स्थित आराजी** का विवरण निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है:—

खाता संख्या (नया—पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
640—555	2323	0.40	बारानी 1

प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित आराजीयात पर अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 द्वारा नाजायज रूप से दबाव बना रखा है जिससे मौके पर आराजी का सीमा का विवाद हमेशा बना रहता है। प्रार्थी ने अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवाने हेतु अप्रार्थी संख्या 4 के कार्यालय में कई बार आवेदन किया, किन्तु अप्रार्थी संख्या 4 द्वारा अब तक सीमाज्ञान नही करवाया गया, जिससे यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करना लाजमी आया है। प्रार्थी की उक्त वर्णित आराजी की मौके पर स्थायी पत्थरगढी किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को अजहद क्षति

उपखण्ड अधिकारी
केकडी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner

होगी। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर उपभयपक्षकारान की उपस्थिति में तहसीलदार केकडी को स्थाई पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया गया है।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 की जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. तलबी कराई गई जिसकी रसीद एवं कन्फर्म डिलीवरी रिपोर्ट पत्रावली में संलग्न है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 जरिये रजिस्टर्ड ए.डी. बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही हुए है। पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार केकड़ी द्वारा पत्रावली में जवाब प्रार्थना पत्र अंकित किया गया जिसके अनुसार प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, राजहित प्रभावित नही होता है। उपस्थित पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की आराजीयात पर पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है एवं आदेश किये जाते है कि तहसीलदार केकड़ी द्वारा वाके ग्राम देवगांव तहसील केकड़ी की जमाबन्दी संवत 2073–76 के खाता संख्या नया पुराना 640–555 के खसरा नम्बर 2323 रकबा 0.40 हैक्ट, की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पुंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)